

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०१/०३/१९

विषय :-

मॉग संख्या-५०- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-३७-रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगशन रेटेटिस्टिक, विस्तृत शीर्ष-०७-अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय विपत्र कोड ५०C470200796370759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-४२/१८-१९, दिनांक २४.१२.२०१८

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / ४७०२- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ ३७-रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगशन रेटेटिस्टिक	०७-अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय विपत्र कोड ५०C470200796370759	१०३.५५

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ तीन लाख पचपन हजार मात्र।


2. आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त संशोधित बजट उपबंध रु. २९०.०० लाख (दो करोड़ नब्बे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६३(वि.) दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा। यह आवंटन शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्गत किया जाता है।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि वी निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव
(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-२

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 198

रॉची, दिनांक :— 01/03/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/खूंटी/चाईबासा/जमशेदपर/लातेहार/लोहरदगा/सरायकेला/गुमला/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/जामताड़ा/पाकुड सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 198

रॉची, दिनांक :— 01/03/19


प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दूबे)
 विशेष सचिव


 (आर० एस० तिवारी)
 अभियंता प्रमुख-2


 (अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
 अपर मुख्य सचिव

माँग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रश्न
मस्त्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पंजीयन परिव्यय

लघु शीर्ष -796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजन

उपर्युक्त – 37–रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एसिग्नेशन स्टेटिस्टिक,

विस्तृत शाखा-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र काड 50C470200796370759 संचयोजित बजट उपबंध (वर्ष 2018-19) रु. 2900 लाख (दो करोड़ नब्बे लाख) मात्र

क्र.	कार्यालय का नाम	प्रशासनिक स्थिति का		मार्च 2018 तक	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अनुकूलता		
		मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	प्रसंग		राशि	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रोची (DRNMIR001)	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रोची (RNCMIR001)	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, खुंडी (RNCCRK01)	राँची रास्ते लघु सिंचाई प्रमङ्गल, चाईबासा (SGHMIR002)	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, जमशेदपुर (JSRMIR001)	लातेहार (LTRMIR001)	42 / 18-19 प्र.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18	981.4030	0.00	0.00	0.00
2							0.00	0.00	7.65	7.65	97808
3							0.00	0.00	4.05	4.05	97812
4							0.00	0.00	7.65	7.65	97814
5							0.00	0.00	5.55	5.55	97816
6							0.00	0.00	4.95	4.95	97819

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अमि.)

(आर.एस. तिखांडे)
अभियंता प्रमुख-२

अरुण कुमार सिंह २८.२.०७
अपर मुख्य सचिव

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200796370759
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2018-19) रु. 290.00 लाख (दो करोड़ नब्बे लाख) मात्र।

क्र. कार्यालय का नाम

मुख्य अभियंता प्रक्रेत्र

योजना का नाम

प्रशासनिक स्थीकृति का प्रसंग

साझा

मार्च 2018 तक

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन

On-line Allotment Access No.

पूर्व का आवंटन

वर्तमान आवंटन

कुल आवंटित राशि

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, लोहरदगा (LDGIRR001)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, सरायकेला (SKLJRR033)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गुमला (GMLIRR006)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, सिमडेंगा (SDGMR001)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, डुमका (DMKMR001)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, साहेबगांज (SBMIR001)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, पाकुड़ (PKRMIR001)

लघु सिंचाई प्रमङ्गल, जामताड़ा (JMTMIR022)

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ तीन लाख पचपन हजार मात्र।

१७८५३१९
(रमेश कुमार द्वारा
उप सचिव (अभियंता))

आदर्श तिगांगा
अभियंता प्रमुख-2

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव